(अत्यावश्यक / समय–सीमा)

स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

(192, एवीएन टावर, मेजनाइन फ्लोर, जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755–2761320)
ई–मेल : rusamphe@gmail.com

भोपाल, दिनांक 20/7/2021

क्रमांक 1485 / वि.बै.परि. / 2021

प्रति,

प्राचार्य
(म.प्र. उच्च शिक्षा सुधार परियोजना अंतर्गत चयनित समस्त शासकीय महाविद्यालय)

विषयः– आपके महाविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखाओं का संधारण एवं आंतरिक अंकेक्षण बाबत।

जैसा कि आपको विदित ही है कि म.प्र. उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना अंतर्गत चयनित प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लेखा संधारण, यूनिफार्म चार्ट ऑफ अकाउंट के अनुरूप महाविद्यालय के समस्त मदों में होने वाले आय–व्यय सहित प्रत्येक लेन–देन का लेखा कम्प्यूटर के माध्यम से टैली एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में संधारित किया जाना था। कम्प्यूटर के माध्यम से आय–व्यय पत्रक, बैलेंस शीट सहित समस्त प्रतिवेदन भी निकाले जाने थे।

प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2019–20 की डीएलआई–6 की पूर्ति हेतु विश्व बैंक से प्राप्त आदेशानुसार सभी महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के टैली से प्राप्त हुए प्रारूप में (अ) इन्कम एंड एक्सीपेंडीचर (ब) बैलेंस शीट (स) बैंक रिकंसीलेशन (मैनुअली अथवा टैली) को गूगल ड्राइव के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय की ई–मेल आई.डी – worldbank.spddli6@gmail.com पर 23 जुलाई 2021 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें। समय–सीमा का विशेष ध्यान रखें।

उपरोक्त कार्यो में निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाना हैः–

(अ) 31.03.2020 तक की सभी आय (Collection account) का केशबुक में संधारण।
(ब) केशबुक एवं टैली केशबुक के शेष का मिलान।
(स) वर्ष 2019–20 का बैंक रिकंसीलेशन होना चाहिए यदि ओपनिंग बैंलेंस में कोई भिन्न्ता है तो भिन्नता की पूर्ण स्थिति को Statutory Auditer की रिपोर्ट में Notes to accounts में दर्शाया जाए।
(द) उक्तानुसार टैली से प्राप्त सभी प्रतिवेदनों/रिपोर्ट को Statutory Auditer से अंकेक्षण कराने के पश्चात ही हस्ताक्षर प्रारूप ही अपलोड करें।

आयुक्त
उच्च शिक्षा
भोपाल, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 20/7/2021

क्रमांक 1486 / वि.बै.परि. / 2021

प्रतिलिपिः–

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्तानुसार जानकारी समय–सीमा में इस कार्यालय को प्राप्त हो इस हेतु आप भी अपने स्तर से संबंधित प्राचार्य को निर्देशित कर समय–सीमा में कार्य पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. विश्व बैंक प्रभारी /समस्त ओएसडी/वित्त नियंत्रक की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. टीम लीडर, फिडयूसरी टीम/ समस्त सदस्य जीटी टीम फिडूयसरी की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार जानकारी प्राप्त करने हेतु संबंधित संस्थाओं से आवश्यक समन्वय करते हुए एवं जानकारी प्राप्त कर उन्हें संभागवार एकजाई जानकारी के साथ अपने अभिमत सहित 23.07.2021 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

आयुक्त
उच्च शिक्षा